

प्रेषक,

देवेश मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2026

**विषय:- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत केन्द्रांश की (अमृत मित्र/ म्यूनिसिपल बाण्ड/ जल संचय जन भागीदारी मद में) प्राप्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/5083/1346/2025-26, दिनांक 12-12-2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 17-11-2025, 17-11-2025, 28-07-2025 एवं 23-07-2025 द्वारा अमृत-2.0 के A&OE मद के लेखाशीर्षक-2217051910107 के अंतर्गत नगर निगम, गाजियाबाद को जल संचय जन भागीदारी मद, नगर निगम, गोरखपुर को जल संचय जन भागीदारी मद, नगर निगम, प्रयागराज को म्यूनिसिपल बाण्ड मद तथा अमृत मित्र मद में प्राप्त कुल धनराशि **रु० 1098.90 लाख (रुपये दस करोड़ अठानबे लाख नब्बे हजार मात्र)** को निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**


- (1) अवमुक्त धनराशि का भुगतान निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) प्रश्रुत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर निकाय के अंश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण करेंगे।

(7) इस संबंध में 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 10,98,90,000 ( रुपये दस करोड़ अठानबे लाख नब्बे हजार मात्र )** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051910107 अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत सहायता मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-315-X-2025-26-दिनांक: 16-02-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

  
(देवेश मिश्र)

संयुक्त सचिव।

**संख्या-636/2026/735(1)/नौ-5-2026/004-Com. No.-1802199, तदिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

  
(देवेश मिश्र)

संयुक्त सचिव।